

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: 06(01) चिस्वा/2/2022/ई-24757

जयपुर, दिनांक:

निदेशक (जन.स्वा.),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज.जयपुर।

विषय:- डॉ. रिछपालराम (जन्मतिथि 01.07.1962) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, परिवार कल्याण मुख्यालय जयपुर को दिनांक 01.03.2024 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत करने बावत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है डॉ. रिछपालराम (जन्मतिथि 01.07.1962) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, परिवार कल्याण मुख्यालय जयपुर को राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 50(1) के तहत दिनांक 01.03.2024 से एतद्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

डॉ. रिछपालराम के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- 1-राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2-राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3-कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

डॉ. रिछपालराम के विरुद्ध आपके अभिलेख अनुसार कोई विभागीय जांच इत्यादि लम्बित नहीं है, भी सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(रामकिशोर मीणा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
2. निदेशक (प.क.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
4. डा. रिछपालराम, जरिये निदेशक (जन.स्वा.)।
5. निजी/ रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
5591085

शासन उप सचिव

Document certified by RAMKISHORE MEENA
<MEDICALDEPARTMENTGROUPS@GMAIL.COM>

Digitally Signed by Ramkishor
Meena
Designation : Deputy Secretary To
Government
Date :11-02-2024 08:30:40

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक : ई/चि0अ0/आर-799/2023/ 82 दिनांक : 19/02/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर को उनके आदेश दिनांक 11.02.2024 के क्रम में।
2. निदेशक (प0क0) मुख्यालय को भेजकर लेख है कि चिकित्सक के विरुद्ध अपने स्तर अभिलेखों की जाँच कर विभागीय जाँच बकाया नहीं है कि पुष्टि करावे।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग जयपुर।
4. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एटीसी/डीपीसी अनुभाग राजपत्रित मुख्यालय।
5. डॉ0 रिछपालराम, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, प.क.मुख्यालय द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को पत्र की प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र विभागीय बेबसाईट पर आज ही अपलोड करावें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

RajKaj Ref
5656655

Document certified by RAVI PRAKASH
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>.

Digitally Signed by RAVI
PARKASH MATHUR
Designation: Director
Date :15-02-2024 05:08:03